आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Uttarakhand Minority Welfare and Waqf Development Corporation, Dehradun (Minority Welfare Department)

Swarozgar Yojana for Unemployed Youth of Minority Communities (Uttarakhand Minority Welfare and Waqf Development Corporation)

उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए बैंक ऋण पर अनुदान देती है।

क्या मिल सकता है

स्वरोजगार के लिए लिए गए बैंक ऋण के एक हिस्से पर निगम की ओर से अनुदान मिलता है। आवेदक को ऋण लेना होता है, लागत का एक छोटा हिस्सा खुद लगाना होता है और बैंक की दर से ब्याज देना होता है।

किसके लिए है

उत्तराखंड के स्थायी निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार, जो योजना की आयु और आय सीमा में हों, या बीपीएल परिवार से हों।

मुख्य शर्तें

- आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का और उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो
- आवेदक योजना की तय आयु सीमा में हो और परिवार की सभी स्रोतों से आय सीमा के भीतर हो, या परिवार बीपीएल हो
- अनुदान तभी मिलता है जब बैंक ऋण लिया जाए, और आवेदक परियोजना लागत का एक छोटा हिस्सा खुद लगाए

दस्तावेज़

- आय प्रमाण पत्र या बीपीएल प्रमाण पत्र
- जाति या समुदाय प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड और बैंक खाता
- प्रस्तावित काम की परियोजना रिपोर्ट

आवेदन कैसे करें

1. विभाग का विज्ञापन देखें और जिला अल्पसंख्यक कल्याण या जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।
2. भरा फॉर्म दस्तावेज और परियोजना रिपोर्ट के साथ उसी जिला कार्यालय में जमा करें।
3. मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला समिति आवेदकों का साक्षात्कार लेती है, फिर बैंक से ऋण मंजूर करने को कहा जाता है।
4. बैंक की मंजूरी के बाद निगम के जरिए अनुदान जारी होता है और ऋण दिया जाता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040717566713.pdf#page=42
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040717566713.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttarakhand/uk-minority-swarozgar-yojana/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।